

- (ङ) उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना और ऐसे उपकरण आसानी से उपलब्ध करवाना;
- (च) सहकारी कृषि को बढ़ावा देना;
- (छ) फसल संरक्षण और फसल परीक्षण;
- (ज) लघु सिंचाई, खेत के कृषि जलनहर का निर्माण तथा अनुरक्षण और जल वितरण, जल संरक्षण सुधार और मृदा क्षरण की रोकथाम के लिए सब्ज बाग नालों, ढीले चट्टानों के बाँध, फिल्टर सीड़ियों और अन्य उपायों के साथ खाई द्वारा नालों का उपचार;
- (झ) ग्रामीण वनों, चरागाहों और फलोद्यानों की तैयारी, संरक्षण और सुधार;
- (ञ) फसलों के सुरक्षा के लिए हानिकारक जानवरों के खिलाफ कदम उठाना।

8. पशुपालन के क्षेत्र में :-

- (क) पशु तथा पशु प्रजनन में सुधार;
- (ख) पशुधन की सामान्य सुश्रुषा;
- (ग) पशु प्रजनन के प्रयोजन के लिए सौंड उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना;
- (घ) डेरी फार्मिंग को प्रोत्साहन।

9. ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में :-

- (क) छोटे और ग्रामोद्योग तथा अन्य रोजगार सम्भावनाओं का सर्वेक्षण तथा काम में लगाना;
- (ख) कुटीर उद्योग और कला तथा शिल्प के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराना;
- (ग) ग्रामीण शिल्पकारों द्वारा कुटीर उद्योगों के लिए आधुनिक और उन्नत उपकरणों से उत्पादन का प्रयास किया जाना और उन्हें ऐसे उपकरण आसानी से उपलब्ध करवाया जाना;
- (घ) शिल्पकारों को उद्योगों और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण के प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना;
- (ङ) सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योग का गठन, प्रबन्धन तथा विकास उपलब्ध कराना।

10. समाज कल्याण के क्षेत्र में :-

- (क) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नीति के अनुसार किसी भी मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन को नियंत्रित करना;
- (ख) गाँव में भूमि हस्तान्तरण रोकना और अनुसूचित जनजातियों के किसी भी अवैध भूमि हस्तान्तरण को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करना;
- (ग) किसी भी नाम वाले ग्रामीण मार्केट का प्रबन्धन;
- (घ) अनुसूचित जनजातियों को पैसे उधार देने वालों पर नियंत्रण रखना;
- (ङ) संस्थानों और सभी सामाजिक क्षेत्रों के तंत्रों पर नियंत्रण रखना;
- (च) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के संसाधनों पर नियन्त्रण रखना।

11. गाँव के लघु जलाशयों की योजना और प्रबन्धन।

12. धारा 34 के तहत अनुदान की शर्तों के अनुसार, भू-राजस्व संबंधी किसी विधि द्वारा अथवा के तहत समय-समय पर नियंत्रित तरीकों तथा रूप, जो भी हो, में भू-राजस्व संबंधी अभिलेखों का अनुरक्षण।